तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / एल0आर0 / 12045 / 2003 / जयपुर** **नाथू बनाम रामचन्द्र**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
5-1-21	**<u>एकल पीठ</u>** **श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य** **<u>उपस्थितिः–</u>** श्री राजेश सोहेला, अधिवक्ता प्रार्थी अप्रार्थी पक्ष उपस्थित नहीं **<u>निर्णय</u>** हस्तगत निगरानी राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षेप में अधिनियम, 1956) की धारा 84 के अन्तर्गत न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, चतुर्थ, जयपुर द्वारा अपील संख्या 43/2002 शीर्षक रामचन्द्र बनाम लक्ष्मीनारायण में पारित आदेश दिनांक 11–07–2003 के विरुद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है। प्रार्थी पक्ष के योग्य अधिवक्ता की बहस निगरानी पर सुनी गई। योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में कथन किया कि सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी, चौमू के आदेश दिनांक 6–7–1987 व इसकी पालना में स्वीकृत नामांतरकरण संख्या 586 दिनांक 25–7–1987 के विरुद्ध भू प्रबन्ध अधिकारी, जयपुर के समक्ष अपील संख्या 29/95 शीर्षक रामचन्द्र बनाम ओंकार प्रस्तुत की गई। उक्त अपील को भू प्रबन्ध अधिकारी, जयपुर के आदेश दिनांक 6–11–1995 से स्वीकार किया गया। प्रार्थी नाथू की ओर से भू प्रबन्ध अधिकारी, जयपुर के न्यायालय में ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि प्रार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना ही यह निर्णय दिया गया है, अतः इसे निरस्त किया जाये। भू प्रबन्ध कार्यवाहियां समाप्त होने पर भू प्रबन्ध अधिकारी ने आदेश दिनांक 2–4–2002 से प्रकरण को जिला कलक्टर को प्रेषित किया। योग्य अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि भू प्रबन्ध अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–11–1995 हमें सुनवाई का मौका दिए बिना इकतरफा में पारित किया गया है जो कि स्पष्ट रुप से न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत है। हमें न तो कोई नोटिस जारी किया गया और ना ही विधिवत रुप से नोटिसों की तामील कराई गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने नॉन रीजण्ड व नॉन स्पीकिंग आदेश पारित किया है। अतः निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त किया जाये। योग्य अधिवक्ता ने अपने पक्ष में न्याय दृष्टान्त आर0आर0टी0 2016 (1) पेज 1286, 2010 (2) डी0एन0जे0 (राज0) पेज 718, आर0आर0टी0 2006–07 पेज 240 प्रस्तुत किए।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / एल0आर0 / 12045 / 2003 / जयपुर** **नाथू बनाम रामचन्द्र**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अप्रार्थी पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। प्रार्थी पक्ष के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावलियों का अध्ययन, अवलोकन किया गया। प्रकरण में परीक्षण पर पाया जाता है कि सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी, चौमू के आदेश दिनांक 6–7–1987 व इसकी पालना में स्वीकृत नामांतरकरण संख्या 586 दिनांक 25–7–1987 के विरुद्ध भू प्रबन्ध अधिकारी, जयपुर के समक्ष अपील संख्या 29/95 शीर्षक रामचन्द्र बनाम ओंकार प्रस्तुत की गई। उक्त अपील को भू प्रबन्ध अधिकारी, जयपुर के आदेश दिनांक 6–11–1995 से स्वीकार किया गया। प्रार्थी नाथू की ओर से भू प्रबन्ध अधिकारी, जयपुर के न्यायालय में ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि प्रार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना ही यह निर्णय दिया गया है, अतः इसे निरस्त किया जाये। भू प्रबन्ध कार्यवाहियां समाप्त होने पर भू प्रबन्ध अधिकारी ने आदेश दिनांक 2–4–2002 से प्रकरण को जिला कलक्टर को प्रेषित किया, जिस पर अति0 कलक्टर ने आक्षेपित आदेश दिनांक 11–7–2003 पारित किया है। प्रार्थी पक्ष का मुख्य आक्षेप रहा है कि उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है किन्तु पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि भू प्रबन्ध अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–11–1995 में दोनों पक्षों को विधिवत रुप से सुनवाई करते हुये आदेश पारित किया है। अति0 कलक्टर, चतुर्थ, जयपुर ने भी अपने आदेश दिनांक 11–07–2003 में स्पष्ट रुप से यही माना है कि प्रार्थी व अप्रार्थी सभी पक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अतः स्पष्ट है कि मण्डल के समक्ष जिन आधारों पर ये निगरानी प्रस्तुत की गई है, वे चलने योग्य नहीं हैं। योग्य अधिवक्ता प्रार्थी पक्ष की ओर से न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किए गए हैं वे प्रकरण में चस्पा नहीं होते हैं क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय के स्तर पर दोनों पक्षों को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान करते हुये निर्णय पारित किया गया है। निगरानी के सीमित दायरे को देखते हुये, अधीनस्थ द्वितीय अपीलीय न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है। निगरानी सारहीन होने से **खारिज** की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो कर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(मनोज कुमार नाग)** **सदस्य**	